राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2021 / 10123 दिनांकः– 23/08/2022

समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिकाऐं,
राजस्थान।

विषयः– विभिन्न विषयों / बिन्दुओं के संबंध में मार्गदर्शन चाहने के लिए भेजे जाने वाले विविध पत्रों बाबत।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यह देखा गया है कि नगरीय निकायों के अनेक अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों / बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देने के लिए पत्र विभाग को भेजे जाते है। यह प्रतीत होता है कि ऐसे मार्गदर्शन पत्रों को भेजने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा विभाग के जारी संबंधित नियमों / परिपत्रों / आदेशों का पूर्ण रूप से अध्ययन नही किया जाता है। ऐसे मार्गदर्शन पत्रों में वर्णित अधिकांश बिन्दुओं से संबंधित प्रावधान / स्पष्टीकरण पूर्व से ही संबंधित नियमों / परिपत्रों में विद्यमान रहते है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के विभिन्न कार्यो के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा अब तक कुल पांच मार्ग–निर्देशिका पुस्तकें तथा अभियान में दरों में दी गई विभिन्न छूटों के विवरण की पुस्तक जारी की है। उक्त पुस्तकें सभी नगरीय निकायों के पास उपलब्ध है। इन पुस्तकों में विभिन्न कार्यो से संबंधित सभी परिपत्रों / आदेशों / नियमों को संकलित किया गया है।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में किसी विषय / बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु पत्र भेजने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि पत्र में वर्णित विषय / बिन्दु के संबंध में विभागीय अधिनियम / नियम / परिपत्र / आदेश में कोई प्रावधान / स्पष्टीकरण उपलब्ध नही है।

इसके अतिरिक्त मार्गदर्शन पत्र में अधिकारियों द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जावें कि **"अधिनियम / नियम एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये संबंधित आदेश / परिपत्रों में प्रश्नगत मार्गदर्शन पत्र के वर्णित बिन्दु पर कोई आदेश / परिपत्र / स्पष्टीकरण उपलब्ध नही है।"**

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राप्त मार्गदर्शन पत्र में जांच में यदि कोई ऐसा विषय / बिन्दु पाया गया, जिससे संबंधित प्रावधान / आदेश / परिपत्र / स्पष्टीकरण पूर्व से ही उपलब्ध है, तो ऐसे मार्गदर्शन पत्र प्रेषित करने वाले अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाकर आरोप पत्र जारी किया जावेगा।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2021 10124-10128 दिनांक :– 23/08/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
4. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

D/PSKS2021/letter